पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15 –08/2021 ज०सं० 370

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 29.3.22

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मुख्य शीर्ष **2702**– लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण/ 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**0.233**

कुल आवंटित राशि – रूपये तेईस हजार तीन सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट उपबंध रू॰ 11293.60 लाख **(एक सौ बारह करोड़ तिरानबे लाख साठ हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003,एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(संतोष कुमार)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :– यथोक्त

29/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 370 रॉची, दिनांक :– 29.3.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/लोहरदग्गा/गोड्डा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सराय केला/ देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु० :– यथोक्त

29/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 370 रॉची, दिनांक :– 29.3.22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु० :– यथोक्त

Suman

(संतोष कुमार)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

29/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट I

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण/उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

पत्रांक 370 दिनांक 29.3.22 का अनुलग्नक

राशि लाख रूपये में

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–		
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	व्यावसायिक सेवा	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S27020200501000101	50S27020200501000112	50S27020200501000213	50S27020200501000315	50S27020200501000316	50S27020200501000323	50S27020200501000333	50S27020200501000329	50S27020200501000334	50S27020200501000337	50S27020200501000442	50S27020200501000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रॉची	पूर्व का आवंटन	198.552	0.000	1.120	1.250	0.000	0.300	0.200	0.000	0.000	0.000	1.900	0.300	203.622	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.233	0.000	0.000	0.000	0.000	0.233	
		कुल आवंटन	198.552	0.000	1.120	1.250	0.000	0.300	0.200	0.233	0.000	0.000	1.900	0.300	203.855	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.233	0.000	0.000	0.000	0.000	0.233	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रू. तेईस हजार तीन सौ मात्र।

(संतोष कुमार)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

29/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव